POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनांक 28-09-2024

थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी की चार पहियां लग्जरी गाड़ियों की क्लोनिंग कर बेचने वाले गैंग का खुलासा करते हुए क्लोन गैंग के 04 सदस्य/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 चार पहिया लग्जरी गाड़ियां (कीमत करीब 01 करोड़ 20 लाख रूपए) बरामद।

घटना संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 22.09.2024 को वादी द्वारा थाना सेक्टर-63 नोएडा पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसके पास वाहन रजि नं0 यूपी 15 डीक्यू 9260 ब्रेजा सफेद गाड़ी है। दिनांक 03.07.2024 एवं 04.07.2024 को वादी की गाड़ी के गाजियाबाद एवं अलवर (राजस्थान) में 500 एंव 1000 रूपये के 02 चालान कटे, जिनकी जानकारी वादी को मैसेज के द्वारा प्राप्त हुई है, जबकि वादी की गाड़ी अलवर और गाजियाबाद कभी नही गयी। गाड़ी में तकनीकी समस्या आने पर जब वादी मेरठ स्थित सर्विस सेन्टर गया तो वादी को पता चला कि वादी की गाड़ी के नम्बर से सर्विस पूर्व में ही हो चुकी है। वादी द्वारा जानकारी की गयी तो पता चला कि वादी की गाड़ी की सर्विस सेक्टर-63, नोएडा स्थित मारुति सर्विस सेन्टर पर हुई, जो निखिल खत्री नामक व्यक्ति द्वारा करायी गयी। जब वादी अपने वाहन से सेक्टर-63, नोएडा स्थित सर्विस सेन्टर पहुंचा तो उनके द्वारा बताया गया कि आपकी गाड़ी की सर्विस निखिल खत्री निवासी शाहबेरी, थाना बिसरख, नोएडा द्वारा करायी गयी थी। जब वादी द्वारा निखिल खत्री नामक व्यक्ति से बात की गयी तो उसके द्वारा बताया गया उसने अपनी गाडी मई माह वर्ष-2024 में CARS-24 से खरीदी थी। वादी द्वारा जाकर देखा तो वादी व निखिल खत्री की गाड़ी बिल्कुल एक जैसी थी। जब वादी द्वारा निखिल खत्री से आरसी के संबंध मे पूछा गया तो उसने बताया कि CARS-24 वालो ने उसकी आरसी कई महीने से उसके नाम ट्रांसफर नही की, जो अभी भी वादी के नाम पर ही है। वादी द्वारा दिये गये प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सेक्टर-63 नोएडा पर मु0अ0सं0 422/24 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/345(3)/347(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- थाना **सेक्टर-63** पुलिस द्वारा वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर टीम बनाकर गाड़ी रजि नं0 यूपी 15 डीक्यू 9260 के सम्बन्ध में जांच करते हुए उक्त गाड़ी के सम्बन्ध में किये गये पेमेंट के खातो की डिटेल एवं CARS-24 द्वारा उक्त गाड़ी को खरीदने में पेमेंट किये गये खाते की

डिटेल प्राप्त की गयी तो CARS-24 द्वारा संकेत, कुलदीप, अभिषेक एवं अमन निवासीगण पल्ला, फरीदाबाद हरियाणा के खातो में लाखो रूपयों का पेमेंट होना प्रकाश में आया। अग्रिम जांच करते हुए CARS-24 के मुख्यालय गुरूग्राम, हरियाणा में जाकर कम्पनी के माध्यम से पिछले 02 वर्षो से विक्रय करने वाली ऐसी गाड़ियां जिनकी आरसी ट्रांसफर नही हुई है, की सूची मांगने पर ऐसी गाड़ियों की सूची उपलब्ध करायी गयी। सूची में अंकित गाडियों को CARS-24 द्वारा जिन-जिन व्यक्तियों को विक्रय किया गया है उनसे सम्पर्क कर तथा जानकारी करते हुए संदिग्ध गाड़ियों को अपने यार्ड सेक्टर-37 नोएडा लाने हेतु निर्देशित किया गया। CARS-24 द्वारा विक्रय की गयी संदिग्ध गाड़ियों को अपने यार्ड में मंगवाकर थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस टीम के सुपुर्द की गयी संदिग्ध गाड़ियों को पुलिस टीम द्वारा सम्बन्धित ऐजेंसी से स्कैन कराया गया तो सूची में अंकित 07 गाड़ियां क्लोनिंग हुई मिली, जिनके इंजन नं0 एवं चेसिस नं0 बदले हुए थे तथा जिनकी आरसी ट्रांसफर नही की गयी थी। उक्त संदिग्ध गाड़ियों को पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया।

दिनांक 28.09.2024 को थाना **सेक्टर-63** नोएडा पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान लोकल इंटेलीजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त 1-कुलदीप यादव पुत्र हरिशचन्द्र यादव 2-अभिषेक कुमार पुत्र प्रमोद मिश्रा 3-संकेत कुमार सिंह पुत्र स्व0 सतेन्द्र सिंह 4-अमन कुमार पुत्र सजन प्रसाद को थाना क्षेत्र के एफएनजी सर्विस रोड़ से **गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त सभी गाड़ियां हमारे साथी 1-पुरू 2-मोहसीन 3-कुंदन गिरी 4-जंयत उर्फ जीना 5-नौशाद के द्वारा चोरी एवं क्लोन कर CARS-24 को विक्रय की गयी थी, जिनकी धनराशि हमारे खातों में आयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों के साथी 1-कुन्दन गिरि पुत्र गोरी शंकर गिरी 2-जयन्त कुमार पुत्र प्रमोद कुमार 3-पुरू पुत्र भूपेन्द्र सिंह 4-मोहसीन पुत्र मोहम्मद सद्दन खान 5-नौशाद पुत्र स्वः अययुब हसन कुरैसी को चार पहिया लग्जरी गाडियों की चोरी करने एवं उनकी क्लोनिंग कर फर्जी आरसी तैयार कर CARS-24 के माध्यम से विक्रय करने के सम्बन्ध में पूर्व से ही तिहाड़ जेल दिल्ली में निरूद्ध है। जिसके सम्बन्ध में थाना शाहाबाद डेरी आउटर नार्थ क्राइम ब्रांच दिल्ली पर मु0अ0सं0 20933187/2024 धारा
305बी/317(2)/345(3)/336(3)/338/340(2)/61(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत है।

उपरोक्त बरामद गाड़ियों को ट्रेस किया गया तो बरामद सभी गाड़ी चोरी की पायी गयी जिनमें 1-क्रेटा गाड़ी नं0 डीएल 9सीएवाई 8100 के सम्बन्ध में थाना मॉडल टाउन नार्थ दिल्ली पर मु0अ0सं0 01614066/2024 पंजीकृत है, 2-क्रेटा गाडी नं0 डीएल 12सीएस 6176 के सम्बन्ध में ई-एफआईआर दिल्ली में 001470/2024 पंजीकृत है, 3-क्रेटा गाडी नं0 डीएल 8सीबीडी 8627 के सम्बन्ध में थाना पश्चिम विहार पूर्व दिल्ली पर मु0अ0सं0 003107/2024 पंजीकृत है, 4-कीया सेल्टोस गाडी नं0 डीएल 5सीटी 4948 के सम्बन्ध में थाना आनंद विहार दिल्ली पर मु0अ0सं0 011344/2024 पंजीकृत है, 5-क्रेटा गाडी नं0 जीजे 01 डब्लूबी 2512 के सम्बन्ध में ई-एफआइआर दिल्ली में मु0अ0सं0 16140/2024 पंजीकृत है, 6-बलेनों गाडी नं0 डीएल 4सीएजेड 0725 के

सम्बन्ध में थाना पश्चिम विहार वेस्ट दिल्ली पर मु0अ0सं0 001738/2022 पंजीकृत है, 7-ब्रेजा गाडी नं0 पीबी 10 एचयू 1217 के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी वेस्ट पर मु0अ0सं0 008933/2024 पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग अपने साथी 1-पुरू 2-मोहसीन 3-कुंदन गिरी 4-जंयत 5-नौशाद के साथ मिलकर उनके द्वारा भिन्न-भिन्न जनपदो एवं राज्यो से चोरी कर लायी गयी चार पहियाँ लग्जरी गाड़ियो का क्लोन बनाकर CARS-24 को बेचते है। जहाँ से CARS-24 द्वारा गाड़ियाँ बिक्री की जाती है। इस प्रकार CARS-24 को बेची गयी गाड़ियो का पैसा हम सबके अपने-अपने खाते में CARS-24 के माध्यम से आता है। उक्त गाड़ियो को चोरी करने का कार्य मोहसीन, पुरू, नौशाद द्वारा किया जाता है तथा कुन्दन गिरि जोकि CARS-24 का पूर्व कर्मचारी है, के द्वारा अपने साथी जयन्त कुमार के द्वारा निरीक्षण कराकर CARS-24 को बेचा जाता है। उक्त क्लोनिंग गैंग के सदस्य योजना बनाकर चोरी के वाहन को क्लोंनिग करते थे।

अभियुक्तों का विवरण--

1. कुलदीप यादव पुत्र हरिशचन्द्र यादव निवासी नंगला गुलाब थाना बकेवर, जनपद इटावा वर्तमान पता चौहान कॉलोनी, थाना पल्ला जिला फरीदाबाद, हरियाणा (उम्र-21 वर्ष)।
2. अभिषेक कुमार पुत्र प्रमोद मिश्रा निवासी ग्राम बथई थाना मनीगाछी, जिला दरभंगा बिहार वर्तमान पता चौहान कॉलोनी पल्ला, थाना पल्ला जिला फरीदाबाद (उम्र-23 वर्ष)।
3. संकेत कुमार सिंह पुत्र स्व0 सतेन्द्र सिंह निवासी ओईनी थाना दरोली, जिला सिवान बिहार वर्तमान पता शास्त्री कॉलोनी थाना पल्ला, जिला फरीदाबाद हरियाणा (उम्र-23 वर्ष)।
4. अमन कुमार पुत्र सजन प्रसाद निवासी ग्राम जयरामपुर, थाना राजमहल साहिबगंज झारखण्ड वर्तमान पता चौहान कॉलोनी थाना पल्ला, जिला फरीदाबाद हरियाणा (उम्र-23 वर्ष)।

बरामदगी का विवरण--

1- क्रेटा गाड़ी नं0 डीएल 9सीएवाई 8100 के सम्बन्ध में थाना मॉडल टाउन नार्थ दिल्ली पर मु0अ0सं0 01614066/2024 पंजीकृत है।

2- क्रेटा गाडी नं0 डीएल 12सीएस 6176 के सम्बन्ध में ई-एफआईआर दिल्ली में 001470/2024 पंजीकृत है।

3- क्रेटा गाडी नं0 डीएल 8सीबीडी 8627 के सम्बन्ध में थाना पश्चिम विहार पूर्व दिल्ली पर मु0अ0सं0 003107/2024 पंजीकृत है।
4- कीया सेल्टोस गाडी नं0 डीएल 5सीटी 4948 के सम्बन्ध में थाना आनंद विहार दिल्ली पर मु0अ0सं0 011344/2024 पंजीकृत है।
5- क्रेटा गाडी नं0 जीजे 01 डब्लूबी 2512 के सम्बन्ध में ई-एफआइआर दिल्ली में मु0अ0सं0 16140/2024 पंजीकृत है।
6- बलेनों गाडी नं0 डीएल 4सीएजेड 0725 के सम्बन्ध में थाना पश्चिम विहार वेस्ट दिल्ली पर मु0अ0सं0 001738/2022 पंजीकृत है।
7- ब्रेजा गाडी नं0 पीबी 10 एचयू 1217 के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी वेस्ट पर मु0अ0सं0 008933/2024 पंजीकृत है।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1- मु0अ0सं0 422/24 धारा 318(4)/338/ 336(3)/340(2)/345(3)/347(1) 61(2)/317(2) बीएनएस थाना सेक्टर-63, नोएडा।
2- मु0अ0सं0 01614066/2024 थाना मॉडल टाउन नार्थ दिल्ली।
3- ई-एफआईआर 001470/2024 दिल्ली।
4- मु0अ0सं0 003107/2024 थाना पष्चिम विहार पूर्व दिल्ली।
5- मु0अ0सं0 011344/2024 थाना आनंद विहार दिल्ली।
6- ई-एफआइआर 16140/2024 दिल्ली।
7- मु0अ0सं0 001738/2022 थाना पश्चिम विहार वेस्ट दिल्ली।
8- मु0अ0सं0 008933/2024 थाना जनकपुरी वेस्ट दिल्ली।